नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 92.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आचार्य (नेत्र विज्ञान)	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु-सचिवीय	18600-500-22100 रु. और प्रैक्टिस-बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	हां

6
मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 1 :** गैर-आयुर्विज्ञान अर्हताओं सहित ज्येष्ठ प्राध्यापक, उपाचार्य और आचार्य की श्रेणी में शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** आचार्य के पद को विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित होने की दशा में केवल मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान डिग्री अर्हता या समतुल्य अर्हता वाले शिक्षकों को ही पद पर नियुक्त किया जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (नेत्र विज्ञान) या एम. एस. (नेत्र विज्ञान) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। **टिप्पण 1 :**—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :** इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। II. उपाचार्य (नेत्र विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए : 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
2. उपाचार्य (नेत्र विज्ञान)	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनन्‌-सचिवीय	16350-450-18600-500-20100 रु. और प्रैक्टिस-बंदी भत्ता	योग्यता द्वारा चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	हां

8	9	10
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (नेत्र विज्ञान)/एम. एस. (नेत्र विज्ञान) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। वांछनीय : इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

11	12
प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नतिः** ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान) जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 14300—18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों प 2 वर्ष नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। II. उपाचार्य (नेत्र विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उ श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किय जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उ प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अ संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आ सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए : 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 4. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य	सीधी भर्ती प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान)	02* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनन्-सचिवीय	14300-400-15900-450-18150 रु. और प्रैक्टिस-बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

8	9	10
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1 956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (नेत्र विज्ञान)/एम. एस. (नेत्र विज्ञान) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	एक वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. वी. 24011/10/2002-एम ई डैस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 14th February, 2003

G. S. R. 92.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of **Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology) and Senior Lecturer (Ophthalmology)** in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, **Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology) and Senior Lecturer (Ophthalmology) (Group 'A' Gazetted Posts)** Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
1.Professor (Ophthalmology)	01* (2002) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 18,600-500 22,100/- Plus Non-practicing Allowance.	Not-applicable	Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Yes

6
Note.— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register. (ii) M.S. (Ophthalmology)/ M.D. (Ophthalmology) from a recognized University/ Institution or equivalent (iii) Ten years experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four years should be as Reader/ Associate Professor in a Recognized Medical College/ Teaching Institution. **Note 1 :—** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :—** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits.	Promotion/deputation (Including short term contract) failing which by direct recruitment.

8
opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable:** Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/ National Journals and one Research Publication in International Journals.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
12	13	14
Promotion/Deputation (including short-term contract) I. Officers of the Central / State Governments/ Union Territories/ Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research Institutions:— (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400-20000/- or equivalent; and (b) Possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8). II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Opthalmology) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation/Contract including period of Deputation/ Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

1	2	3	4	5	6	7
2. Reader (Ophthalmology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 16,350-450-18,600-500-20, 100/- PLUS Non-Practicing Allowance.	Not applicable	Not exceeding fifty year's (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Yes

8	9	10	11
Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register. (ii) M.S. (Ophthalmology)/M.D (Ophthalmology) from a recognized University/Institution or equivalent. (iii) Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a recognized Medical College/ Teaching Institution. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits.	Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

8
Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable:** Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/ National Journals .

12	13	14
Promotion/Deputation (including short-term contract) I. Officers of the Central / State Governments/ Union Territories/ Statutory bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) With two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and (b) Possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8). II. The Departmental Officer in the grade of Senior Lecturer (Ophthalmology) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Department Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similary, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation/Contract including period of Deputation/ Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandingarh Administration —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

1	2	3	4	5	6	7
3. Senior Lecturer (Ophthalmology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14,300-400-15,900-450-18,150/- PLUS Non-Practicing Allowance.	Not applicable	Not exceeding fifty year's (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No

8	9	10	11
Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register. (ii) M.S. (Ophthalmology)/ M.D. (Ophthalmology) from a recognized University/Institution or equivalent. (iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/ Registrar/ Senior Resident/Demonstrator/ Tutor in a recognized Medical College/ Teaching Institution. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	One year	Direct recruitment

12	13	14
Not applicable	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (For Considering Confirmation) :** 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education & Research, Chandigarh Admn. —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. V. 24011/10/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 398.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (नेत्र विज्ञान), उपाचार्य (नेत्र विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (नेत्र विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) में "2002" अंकों के स्थान पर "2003" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० वी०-24011/10/2002-एम. ई. डेस्क-II]

एस० के० मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 92, तारीख 14 फरवरी, 2003 भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

New Delhi, the 16th November, 2004

G.S.R. 398.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology), and Senior Lecturer (Ophthalmology), (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology), and Senior Lecturer (Ophthalmology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Ophthalmology), Reader (Ophthalmology), and Senior Lecturer (Ophthalmology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/10/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote : The Principal notification No. G.S.R. 92, dated the 14th February 2003 as was published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India on 1st March 2003.

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 399.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में "2002" अंकों के स्थान पर "2003" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियम में क्रम संख्या 2 पर उपाचार्य (प्रसूति विद्या और स्त्री रोग), के पद के सामने,—